 30

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1444 / 2015 / 13335 दिनांकः 27.11.2015

उप निदेशक (राजस्व)द0 / द0प0

श्री नन्द किशोर,
ई–30, ईस्ट उत्तम नगर,
दिल्ली–110059.

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री नन्द किशोर, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 07–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 27.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री नन्द किशोर, उपस्थित हुए एवं श्री अनिल कुमार रांगा, मुख्य लिपिक, द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)–।।।, पश्चिम विहार जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 14.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 07.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि सभी उत्तर गलत हैं या भ्रामक हैं । नामान्तरण सम्बन्धी कार्य (मुटेशन) करने में आठ महीने का समय लगाया और उसके पश्चात् तीन बार गलत नाम से गलत बिल दिया जा रहा है । मुख्य लिपिक ने बताया कि कमप्यूटर में तकनीकि खराबी से ऐसा हुआ । सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की भली प्रकार से जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए व उनकी शिकायत पूर्ण रूप से दूर की जाए।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

EXECUTIVE ENGINEER DY. No. 6104 Date 1/12/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री नन्द किशोर, ई–30, ईस्ट उत्तम नगर, दिल्ली–110059.
2. उप निदेशक (राजस्व) द0 / द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)–।।।, पश्चिम विहार ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी